भारत सरकार की महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन के कियान्वयन हेतु
जनपद–शाहजहाँपुर में
गठित जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (DWSM) समिति की दिनांक 25.11.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन नमामि गंगे जलपूर्ति अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 95/छियत्तर–1–2020–20 स्वजल/2010 टी0सी0ए0–अ0 लखनऊ दिनांक 21.01.2020 के द्वारा पेयजल एंव स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्गत दिशा निर्देशो के अनुरूप जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी कियान्वन तथा मूल्याकंन तथा उनके अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर गठित जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन समिति की बैठक दिनांक 25.11.2022 को कलेक्टेट स्थित सभागार, शाहजहाँपुर में आयोजित की गयी है। बैठक में मै0 एन0सी0सी0 लि0 द्वारा प्रेषित 31 नग डी0पी0आर0 को विचारोपरान्त SWSM को प्रेषित किया जाना है।

1	जिलाधिकारी शाहजहाँपुर	अध्यक्ष
2	मुख्या विकास अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
3	जिला विकास अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
4	प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके नामित सदस्य	सदस्य
5	परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकस अभिकरण, शाहजहाँपुर।	सदस्य
6	मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
7	बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
8	अधिशासी अभियंता वाटर रिर्सोसेस/सिंचाई शाहजहाँपुर	सदस्य
9	जिला कृषि अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
10	जिला सूचना एंव जनसंपर्क अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
11	अधिशासी अभियंता वि0/या0 उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद शाहजहाँपुर।	सदस्य
12	अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण शाहजहाँपुर	सदस्य सचिव

1. जल निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि जल जीवन मिशन के अर्न्तगत राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा ग्रामीण पेयजल अपूर्ति हेतु फर्म मै एन0सी0सी0 लि0, हैदाराबाद को चयनित किया गया है। जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो मे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से "जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति" द्वारा फर्म को 1032 ग्राम पंचायतो (2033 राजस्व ग्राम) की सूची उपलब्ध करायी गयी। ग्रामीण क्षेत्रो मे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत फर्म द्वारा राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा समय समय पर निर्गत किए गये निर्देशो के अनुपालन मे प्राक्कलन विरचित किये गए है, जिसकी जल निगम एवं मै0 मेधज टैक्नों कान्सेप्ट प्रा0लि0 (डी0पी0एम0यू0), शाहजहाँपुर द्वारा तकनीकी गाइडलाइन के अनुरूप सघनता से जांच की गयी। फर्म द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 मे ली गयी कार्यो की दरें SWSM Schedule रेट के आधार पर ली गयी है। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा मानकीकृत प्रति व्यक्ति 55 एल0पी0सी0डी0 की दर से अभिकल्पित वर्ष 2052 के लिए विरचित किया गया है।
2. वर्तमान तक "जिला पेयजल मिशन" समिति द्वारा 487 नग (589 ग्राम पंचायतें) के डी0पी0आर0 अधिशासी निदेशक नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) लखनऊ को प्रेषित की जा चुकी है तथा 454 नग की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। इसी कम में आज बैठक में पुनः 31 नग डी0पी0आर0 (59 ग्राम पंचायतें, 89 राजस्व ग्राम) "जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति" के समक्ष संस्तुति हेतु प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त 31 नग डी0पी0आर0 का तकनीकी परिक्षण किया गया एंव यह भी सुनिश्चित कर लिया गया कि मुख्य अभियंता ग्रामीण उ0प्र0 जल निगम लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देश को संज्ञानित कराते हुये प्राकलनों का तकनीकी परीक्षण खंड कार्यालय., उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण शाहजहांपुर द्वारा किया गया है, जो कि निम्नवत् हैः–

1. योजनाओ की प्रति व्यक्ति कार्य लागत जनपद के लिए औसतन 7000 रू से कम रखी गयी है, जिसकी पुष्टि तालिका के अंत मे अंकित औसत से स्पष्ट है।

2. स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिस योजना विशेष की प्रति व्यक्ति लागत रू 7000 से अधिक है, उन योजनाओ का स्थालीय परिक्षण करा लिया गया है एंव समस्त प्रस्ताव का मूल्यांकन स्थलीय आवश्यकता के अनुरूप है।
3. पम्पिग प्लांट की डिजाइन मे हैड अधिकतम 50 मी0 के आधार पर ही प्रस्तावित किया है। इसका परिक्षण अधिशासी अभियंता विद्युत यांत्रिक द्वारा कर लिया गया है।
4. सोलर पी0वी0 माड्यूल की क्षमता किलोवाट, पम्प की क्षमता हार्स पावर से अधिकतम 1.4 गुना के आधार पर ही प्रस्तावित की गयी है।
5. जिन योजनाओ मे रोड कटिग की पुर्ननिर्माण की लागत, वितरण प्रणाली की लागत से 25 प्रतिशत से अधिक है, उस स्थिति मे इसका शत प्रतिशत स्थलीय निरीक्षण किया गया है एंव प्रस्तावित कार्य की मात्रा कार्य स्थल के अनुरूप ली गयी है।
6. योजना की डिजाइन जनसंख्या की गणना विभिन्न विधियों से की गयी है एंव आधार वर्ष से अभिकल्पित जनसंख्या अधिकतम 80 प्रतिशत की वृद्धि के अंतर्गत ही प्रस्तावित की गयी है।
7. प्रति घर व्यक्तियो की संख्या 4 से 8 के बीच रखी गयी है।
8. वितरण प्रणाली मे सैंड बेडिंग का प्रविधान नही किया गया है।
9. जलकल परिसर मे सामान्यतः मिटटी भराई प्रस्तावित नही है। जिस ग्राम पंचायत मे जलकल परिसर के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नही है एंव मिटटी भराव अपरिहार्य है, कि स्थिति में विस्तृत सर्वे कर मात्रा की गणना की गयी है एंव इसी आधार पर संस्तुति करते हुये डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गई है।
10. स्पेयर पम्पस का प्रावधान नही किया गया है।
11. योजनओ की जो विशिष्टियां राज्य योजना स्वीकृति रखी गई है, उनमे किसी भी प्रकार का तकनीकी या वित्तीय विचलन नही हो रहा है।
12. सभी कार्य सक्षम अभियंताओ की देखरेख में ही सम्पन्न कराये जाए और टी0पी0आई0 द्वारा लगातार गुणवत्त सुनिश्चित कराये जाने का अनुपालन किया जायेगा।
13. सेन्टेज चार्ज का वहन केन्द्रांश से नही किया जायेगा, प्रदेश सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुरूप इसमें निर्माण लिया जायेगा।
14. साथ ही अवगत कराना है कि योजनाओ मे प्रस्ताव का परीक्षण मौके पर स्थलीय परीक्षण के अनुरूप लिया गया है एंव इन कार्यो के सम्पादन के उपरान्त योजना अपने उददेश्य में जनोपयोगी हो सकेगी।

उक्त कम मे ग्रामीण क्षेत्रो मे पेयजल अपूर्ति हेतु 31 नग डी0पी0आर0 जल निगम द्वारा तकनीकी परीक्षणोपरांत समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए।

उक्त के क्रम में बैठक में अन्य निम्न बिन्दुओ पर निर्देश दिये गये–

1. बैठक में जिलाधिकारी महोदय एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा कार्य प्रगति, ट्यूबवेल बोरिंग, पम्प हाउस, शिरोपरि जलाशय, हाइड्रोटेस्टिंग, गृहसंयोजन (FHTC) आदि कार्यों की समीक्षा की गयी तथा असंतोषजनक प्रगति पाये जाने पर चयनित फर्म मै0एन0सी0सी0 लिमिटेड, हैदराबाद को कड़ी नोटिस दिये जाने हेतु सदस्य सचिव को निर्देश दिये गये।
2. मै0एन0सी0सी0 लिमिटेड द्वारा दिये जा रहे गृह जल संयोजनों को घर के अन्दर कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
3. जिला कृषि अधिकारी को पूर्व में मै0एन0सी0सी0 लिमिटेड द्वारा लगाये गये स्टाफ एवं लेबर की संख्या के अनुश्रवण हेतु नामित किया गया था। बैठक में डी0ई0ओ0 द्वारा उपलब्ध कराये गये एक्सल शीट की समीक्षा करने पर पाया गया कि जनपद शाहजहाँपुर में चल रहे कार्यों के सापेक्ष फर्म द्वारा नियुक्त स्टाफ की संख्या अनुबन्ध की शर्तों के सापेक्ष बहुत कम पायी गयी है, जिस कारण कार्यों में वांछित प्रगति प्राप्त नहीं हो रही है। फर्म को तकनीकी स्टाफ व लेबर बढ़ाने हेतु कड़े निर्देश दिये गये।
4. जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल जीवन मिशन अन्तर्गत चयनित समस्त आई0एस0ए0 को उनके आधिकारिक मोबाईल पर प्रतिदिन किये जो रहे कार्यों की फोटों एवं वीडियो भेजने हेतु निर्देशित किया गया।
5. जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त आई0एस0ए0 को प्रतिदिन हो रहे कार्यों की डायरी तैयार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसे अग्रिम बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवलोकित किया जायेगा।
6. आई0एस0ए0 की भुगतान हेतु जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक संख्या 1732/एम–13/18, दिनांक 07.11.2022 के क्रम में गठित जांच टीम के द्वारा मै0 भूषण सेवा संस्थान के कलस्टर बी–2, तथा भावना सेवा संस्थान के कलस्टर संख्या ए–2, ए–3, ए–4 एवं ए–5 के भुगतान का सत्यापन कर जांच आख्या प्रस्तुत की गयी जिसपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतः सम्यक विचारोपरान्त उक्त 31 नग डी0पी0आर0 उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) की संस्तुति के आधार पर स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया है।

अधिशासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय,
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),
शाहजहाँपुर।
(सदस्य सचिव)

for
अधिशासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय(वि0 / यां0)
~~अधीक्षण अभियन्ता~~, उ0प्र0 जल निगम,
मुरादाबाद।
सदस्य

अधिशासी अभियन्ता
लघु सिंचाई,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

जिला कृषि अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

अधिशासी अभियन्ता
वाटर रिर्सोसेस / सिंचाई
शाहजहाँपुर।
सदस्य

(ADIO)
जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

जिला विकास अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, शाहजहाँपुर
सदस्य

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

प्रभागीय बनाधिकारी स्वयं अथवा
उनके नामित सदस्य,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

मुख्य विकास अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

जिलाधिकारी, (अध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
शाहजहाँपुर।